

THE BUDGET (RAILWAYS), 2004-2005

प्रो. राम देव भंडारी (बिहार) : सभापति महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : अभी तो रेलवे बजट रखना है। ...(व्यवधान)...

प्रो. राम देव भंडारी :

श्री सभापति : अच्छा ठीक है, बाद में देखेंगे। ...(व्यवधान)...

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति : लालू जी, आप अपना रेल बजट पेश करिए। ...(व्यवधान)... आप अपना बजट पेश करिये। ...(व्यवधान)... वह ठीक है। ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)... वे इस हाउस के मेम्बर नहीं हैं। चलिए, आप। Please take your seats. ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Sir* ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति : आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)... नहीं, यह नहीं। ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)... बैठ जाइये। ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइये। कोई रिकार्ड पर नहीं जायेगा। ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)... आप बैठिये। ...(व्यवधान)... भंडारी जी, आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)... भंडारी जी, आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)... लालू जी, आप बजट पेश करिये। ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइये। आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)... आप मुझे कोई नोटिस दिए बिना बात नहीं कर सकते हैं। अगर कहेंगे तो रिकार्ड पर नहीं जायेगा। ...(व्यवधान)... आप बोलिए। आप बोलिए। आप अपना कागज रखिए। ...(व्यवधान)... आप अपना कागज रख दीजिए।

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI LALU PRASAD): Sir, I beg to lay on the Table a Statement (in English and Hindi) of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for the year 2004-2005 in respect of Railways.

श्री सभापति : आप लोक सभा में हिन्दी में बोले और यहां पर अंग्रेजी में बोले, ऐसा क्यों?

श्री लालू प्रसाद : क्योंकि यह अपर हाउस है और यहां विद्वान लोग बैठते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : यह विद्वानों के लिहाज से है। श्री अर्जुन सिंह। ...(व्यवधान)... आप बोलिए। ...(व्यवधान)... मंत्री जी, आप बोलिए। ...(व्यवधान)... कोई रिकार्ड पर नहीं जायेगा।

* Not Recorded.

में आपको बता देता हूँ चाहे आप कितना ही बोल लीजिए। ... (व्यवधान)... मंत्री जी, आप बोलिए। ... (व्यवधान)... क्या आप स्टेटमेंट नहीं रखना चाहते हैं? ... (व्यवधान)...

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : सर, मैं स्टेटमेंट रखना चाहता हूँ। ... (व्यवधान)...

श्री सभापति : आप हाउस की टेबल पर ले कर दीजिए। ... (व्यवधान)... आपने रख दी? ... (व्यवधान)...

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सर, यह हंगामा तो खत्म हो जाये। ... (व्यवधान)...

श्री सभापति : आपको इसे सदन की मेज पर रखना है। ... (व्यवधान)...

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सर, मैं इसे हाउस की टेबल पर ले कर देता हूँ। ... (व्यवधान)...

श्री सभापति : ठीक है।

STATEMENT BY MINISTER

Reconstitution of the Central Advisory Board of Education (CABE)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : सभापति महोदय, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड केन्द्र और राज्य सरकारों को शिक्षा के क्षेत्र में सलाह देने वाला सर्वोच्च सलाहकार निकाय है। इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1920 में की गई थी। इसके बाद 1935 में इसको पुनः स्थापित किया गया था और समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया जाता रहा है। इसकी बढ़ाई गई अवधि मार्च, 1994 में समाप्त हो जाने के बाद भी दुर्भाग्यवश इसका पुनर्गठन नहीं किया गया है।

देश में हो रहे महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तनों के मद्देनजर और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा, जो अपेक्षित है, करने के लिए इस समय केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। यह भी महत्वपूर्ण है कि केन्द्र और राज्य सरकारें और शिक्षाविद् तथा इससे संबंधित सभी व्यक्तियों को आपस में तालमेल बढ़ाना चाहिए और शिक्षा में नीति-निर्माण की सहभागी प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए ताकि हमारी राजनीतिक व्यवस्था के संघीय स्वरूप को बेहतर बनाया जा सके।

तदनुसार भारत सरकार ने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है जिसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्रमशः केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री होंगे। सरकारी प्रतिनिधियों के अलावा प्रत्येक राज्य सरकार से शिक्षा के एक प्रभारी मंत्री (मुख्य मंत्री द्वारा नामित) और प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र से उपराज्यपाल अथवा शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री इस बोर्ड के सदस्य होंगे। इस बोर्ड में लोक सभा और राज्य